उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 13 1-15 जुलाई 2024 ₹ 20/-

तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार

- सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप
- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध का फैसला
- उदारवादी मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित
- मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत में पुनर्विभाजन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार 04
सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप 07
मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत में पुनर्विभाजन 09
धर्मांतरण अभियान पर उच्च न्यायालय चिंतित 12
मुस्लिम पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने की अनुमति 13

विश्व

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध का फैसला 14
दागिस्तान में बुर्का पर प्रतिबंध 15
अफगानिस्तान में बैंकों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर विचार 17
पाकिस्तान की बन्नू छावनी पर आतंकी हमला 18
लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 19

पश्चिम एशिया

उदारवादी मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित 20
तुर्किये द्वारा अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता रद्द 22
ओमान की मस्जिद में आतंकी हमला 22
सऊदी अरब द्वारा विदेशी विशेषज्ञों को नागरिकता प्रदान करने की घोषणा 23
हिजाब पहनने से इंकार करने पर टर्किश एयरलाइंस का कार्यालय बंद 24
यूएई में इख्वानुल मुस्लिमीन से जुड़े 43 लोगों को उम्रकैद की सजा 25

सारांश

हाल ही में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को अपना निशाना बनाया है। उसने यह आरोप लगाया है कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण कर रही है और वह बहुसंख्यक समुदाय की आस्थाओं को अल्पसंख्यकों पर जबरन थोप रही है। जमीयत उलेमा ने यह घोषणा की है कि वह इस्लाम विरोधी किसी भी तरह की शिक्षा या किसी विशेष धर्म की आस्थाओं को मुसलमानों पर लादने का डटकर विरोध करेगा। इस संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के दीनी मदरसों को किसी न किसी बहाने से बंद करने की साजिश रच रही है। जमीयत उलेमा ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाएं।

उल्लेखनीय है कि जमीयत उलेमा कई दशकों से कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में देश में सक्रिय है। इस संगठन की स्थापना 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान की गई थी। उसका यह दावा है कि वह एक धार्मिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, कांग्रेस की टिकट पर इस संगठन के अनेक प्रमुख नेता लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। इनमें मौलाना हिफ्जुर रहमान, असद मदनी और महमूद मदनी आदि शामिल हैं। अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी इस संगठन ने देशव्यापी अभियान चलाया था।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल समद को यह निर्देश दिया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे। जबकि अब्दुल समद का कहना था कि शरिया के अनुसार वह केवल तीन महीने की अवधि के लिए अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसके इस तर्क को रद्द कर दिया था। अदालत के इस फैसले को अब्दुल समद ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन दिनों इमरान खान विभिन्न आरोपों में जेल में बंद हैं। हाल ही में पेशावर उच्च न्यायालय ने इमरान खान के खिलाफ एक फैसला सुनाया था। इमरान खान ने इस फैसले को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान के पक्ष में फैसला सुना दिया। इससे शहबाज शरीफ की सरकार खतरे में पड़ गई थी। इस संभावित खतरे को टालने के लिए सेना के इशारे पर शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

उदारवादी नेता डॉ. मसूद पेजेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को चुनावों में पराजित किया है। पेजेश्कियान ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वे पेशे से एक हार्ट सर्जन हैं। गौरतलब है कि ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री सहित कई अन्य उच्चाधिकारी भी मारे गए थे। रईसी को एक कट्टरपंथी नेता माना जाता था। उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में हजारों निर्दोष ईरानियों को मौत की सजा दी थी। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सुधारवादी और हिजाब कानून का विरोधी माना जाता है। हालांकि, पेजेश्कियान के लिए कोई सुधारवादी कदम उठाना बेहद कठिन होगा, क्योंकि ईरानी प्रशासन की बागडोर सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के हाथ में है। खामेनेई कट्टरपंथी नेता हैं और उनके इशारे के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है।

तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार

उर्दू टाइम्स (11 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसके बाद भी तलाकशुदा पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल समद को यह निर्देश दिया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को 10 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता दे। अब्दुल समद ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए शरिया कानून नहीं, बल्कि देश का सेक्युलर कानून ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 तमाम महिलाओं पर लागू होती है। बता दें कि इससे पूर्व 1985 में बहुचर्चित शाहबानो केस में भी इसी तरह का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है, जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है। शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मुसलमान नाराज थे और अदालत के इस फैसले को शरिया में हस्तक्षेप बताया था। शरिया कानून के अनुसार तलाक देने के बाद इद्दत की अवधि तक ही अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेवारी पति की होती है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ देश के मुसलमानों ने भारी विरोध प्रकट किया था। तब 1986 में मुसलमानों

के दबाव पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून पास किया था और सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन जब तक सीआरपीसी की धारा 125 खत्म नहीं होती तब तक मुसलमानों को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा।

रोजनामा सहारा (15 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति दर्ज की है और इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में 51 सदस्यों ने भाग लिया। बोर्ड की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव में कहा कि गुजारा भत्ता पर सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला शरीयत के खिलाफ है। अदालत का यह फैसला भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटी के भी खिलाफ है।

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका अदालत में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में तलाकशुदा महिला मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून, 2019 का सहारा ले सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह धारा सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर।

अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 मुसलमानों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 127 में मुसलमानों को गुजारा भत्ता देने से मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से आजीवन गुजारा भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। इलियास ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम पुरुष को अपनी पूर्व पत्नी को आजीवन गुजारा भत्ता देना होगा तो वह अपनी पत्नी को तलाक ही क्यों देगा? उन्होंने कहा कि यह तीन तलाक कानून की तरह ही एक मूर्खतापूर्ण फैसला है।

अखबार-ए-मशरिक (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इंदौर की रहने वाली शाहबानो को 1978 में उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था। इसके खिलाफ शाहबानो ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। उच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके पूर्व पति को उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस फैसले को मोहम्मद अहमद खान ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ मुसलमानों ने देशभर में

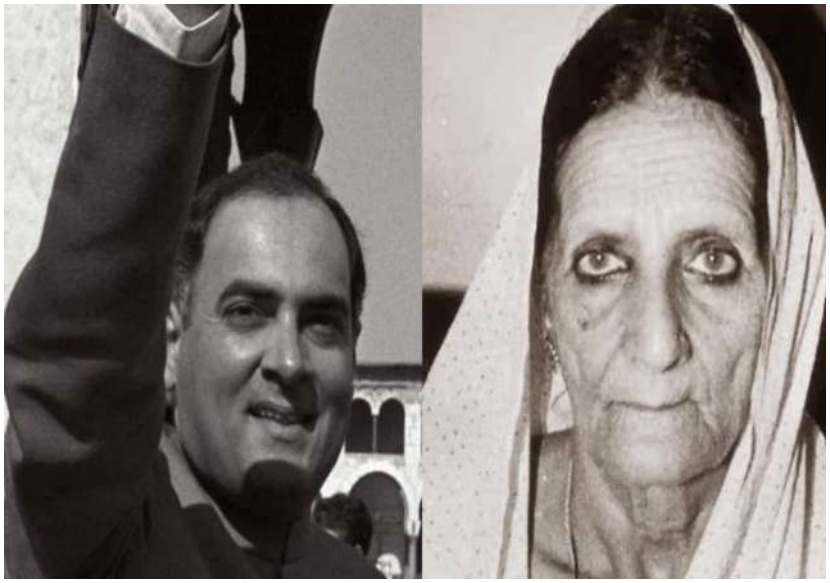

आंदोलन चलाया था। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक कानून बनाया था। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि तलाकशुदा पत्नी को उसका पूर्व पति सिर्फ 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता देने का हकदार है। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे अदालत ने रद्द करते हुए कहा था कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से आजीवन गुजारा भत्ता लेने की हकदार है।

हाल ही में तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद नामक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने के उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल समद की अपील को खारिज करते हुए उसे यह निर्देश दिया है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को हर महीने दस हजार रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दे। अदालत ने कहा है कि 1986 के कानून की धारा तीन सिर्फ इद्दत की अवधि के दौरान ही पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद तलाकशुदा पत्नी को भत्ता देने की पति की जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। जबकि सीआरपीसी की धारा 125बी के तहत एक तलाकशुदा पत्नी जब तक शादी नहीं करती तब तक वह अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है और अगर कोई पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इंकार करता है तो वह अपराधी माना जाएगा।

सहाफत (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिन मुस्लिम महिलाओं ने अब तक शरिया कानून के डर से अपने पूर्व पतियों से गुजारा भत्ता लेने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया था उन्हें अब सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद गुजारा भत्ता लेने का अवसर मिल गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हमारे समाज में अधिकांश महिलाएं आज भी शादी के बाद अपने पतियों पर निर्भर रहती हैं। अगर पति उन्हें छोड़ दे तो उनके लिए जीना दूभर हो जाता है। कई तलाकशुदा महिलाओं पर अपने बच्चों को पालने की भी जिम्मेवारी होती है। इस वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर एक महिला को दूसरी महिला से अलग क्यों समझा जाए? हर महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह देश की शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण कर रही है। यह संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के खिलाफ है। जमीयत उलेमा ने एक अन्य प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाया है कि स्कूलों में छात्रों पर हिंदू धार्मिक प्रथाओं को जबरन थोपा जा रहा है। जमीयत उलेमा ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा और हिंदू धर्म से संबंधित गीतों को गाने पर विरोध प्रकट किया है और यह मत व्यक्त किया है कि हम हिंदू समाज की आस्थाओं को अल्पसंख्यकों पर लादने के सरकारी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका डटकर विरोध करेंगे।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश ने हमेशा फिलिस्तीनी जनता की मांगों का समर्थन किया है और फिलिस्तीन का साथ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा देश इजरायल को हथियार सप्लाई कर रहा है। यह देश के इतिहास और परंपरा के सरासर खिलाफ है। उन्होंने अपने भाषण में मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि मीडिया शासकों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। हमारा मीडिया हालात को सुधारने के बजाय देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, इसलिए उसे अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा की यह मांग है कि नई नस्ल को बिना दीनी शिक्षा दिए स्कूलों में इस्लाम विरोधी पाठ्यक्रम को न पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है।

रोजनामा सहारा (6 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा ने एक प्रस्ताव में सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह किसी न किसी बहाने की आड़ लेकर इस्लामी मदरसों को अपना निशाना बना रही है और उन्हें बंद करने का प्रयास कर रही है। यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति दे रखी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा मदरसों को बंद करने का प्रयास किया जाता है तो हम इसका डटकर विरोध करेंगे।

एक अन्य समाचार के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

जैसे राज्यों में मदरसों की अलग पहचान को समाप्त करने और उन्हें बंद करने का जो प्रयास चल रहा है वह निंदनीय है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए। हम इस फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि यह निर्देश असंवैधानिक व गैरकानूनी है और यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हाल ही में इस्लामी मदरसों का सर्वे कराने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएं। इस संदर्भ में 8449 मदरसों की एक सूची भी जिलाधिकारियों को भेजी गई है, जिनमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, सहारनपुर के मदरसा मजाहिर उलूम, वाराणसी के जामिया सलाफिया और मुबारकपुर के जामिया अशरफिया जैसे पुराने और विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षा संस्थान शामिल हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह निर्देश गैरकानूनी हैं और छात्रों के अभिभावकों के अधिकारों पर हमला है। हालांकि, संविधान में छात्रों के माता-पिता को इस बात की आजादी दी गई है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जहां चाहें वहां दाखिला दिलवाएं। इन इस्लामी मदरसों के छात्रों के अभिभावकों पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दाखिला करवाएं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविधान की धारा 30ए के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम मदरसों पर लागू नहीं होता है। एक अन्य प्रस्ताव में बोर्ड ने मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की भी आलोचना की है जिसमें मदरसों के बच्चों को यह निर्देश दिया गया है कि वे हाथ जोड़कर सरस्वती वंदना करें।

सियासत (8 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार मदरसों को बंद करने की योजना बना रही है। इसका संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिया। समाचारपत्र ने यह भी शिकायत की है कि मंत्रियों और भाजपा विधायकों द्वारा मदरसों को आतंकी संगठनों के रूप में पेश करने का घृणित प्रयास किया जा रहा है। भोपाल के वकील शाहनवाज खान ने कहा है कि कोई भी सरकार इस्लामी मदरसों को बंद नहीं कर सकती।

उर्दू टाइम्स (15 जुलाई) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकारें इस्लामी मदरसों को इसलिए निशाना बना रही हैं ताकि मुसलमानों को दीन और इस्लाम से दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस्लामी मदरसों के प्रबंधकों को विभिन्न बहानों की आड़ लेकर परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ मनमाने ढंग से जांच की जा रही है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे दीनी मदरसों की रक्षा के लिए मैदान में उतरें, क्योंकि दीनी मदरसे ही दीन के किले हैं। उन्हें ध्वस्त न होने दें। उनके संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाएं। उन्हें दिल खोलकर आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि अगर मदरसे नहीं बचे तो दीन और इस्लाम भी नहीं बचेगा।

मुस्लिम मजलिस–ए–मुशावरत में पुनर्विभाजन

रोजनामा सहारा (2 जुलाई) के अनुसार लगभग 100 मुस्लिम संगठनों के संघ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत में एक बार फिर से विभाजन हो गया है। इसकी विधिवत घोषणा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष और नवगठित ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (पंजीकृत) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस में की। उन्होंने दावा किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत मेरे नाम से पंजीकृत है। विख्यात मुस्लिम नेता मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी ने 2003 में इस पंजीकरण को मेरे नाम पर हस्तांतरित किया था। इसका पंजीकरण संख्या एस/46913 है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा ही संगठन पंजीकृत संस्था है। जो दूसरा संगठन बनाया गया है वह गैर-पंजीकृत है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।

गौरतलब है कि जफरुल इस्लाम खान के इस संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव हाल ही में दो सालों के लिए हुआ था। इसमें डॉ. जफरुल इस्लाम खान अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त प्रो. मोहम्मद सुलेमान, मौलाना जिनान अशगर मौलाई और मौलाना अताउर रहमान कासमी उपाध्यक्ष चुने गए थे। जबकि मासूम मुरादाबादी (महासचिव), सैयद तहसीन अहमद (कार्यकारी महासचिव), डॉ. जावेद अहमद (सचिव) और शम्सुज जोहा (कोषाध्यक्ष) चुने गए थे। इसके अतिरिक्त 21 लोग कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे।

दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद ने जफरुल इस्लाम के दावे को गैर-कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि डॉ. जफरुल इस्लाम का संगठन गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले मुशावरत का विभाजन दो भागों में हो गया था और बाद में इन दोनों में एकता भी हो गई थी। इसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष पद के लिए नवेद हामिद और डॉ. जफरुल इस्लाम में मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में डॉ. जफरुल इस्लाम हार गए थे। मुशावरत के संविधान के मुताबिक मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का दो बार ही कोई लगातार

अध्यक्ष बन सकता है और जफरुल इस्लाम दो बार इसके अध्यक्ष बन चुके हैं, इसलिए वे तीसरी बार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

फिरोज अहमद ने दावा किया कि दिसंबर 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें वे चार सालों के लिए मुशावरत के अध्यक्ष चुने गए थे और 2 अप्रैल 2023 को उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया था। अगला चुनाव 2027 में होना है, इसलिए डॉ. जफरुल इस्लाम का अध्यक्ष होने का दावा नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुशावरत की धनराशि से जो कार्यालय खरीदा गया था वह हमारे पास है और हम तब से लेकर अब तक मुशावरत के बैंक अकाउंट का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (पंजीकृत) एक फर्जी संगठन है और उसे कुछ लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया है।

पृष्ठभूमि : 1963 में कोलकाता, जमशेदपुर और राउरकेला में जबर्दस्त सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके बाद देश के विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने कोलकाता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया कि भारतीय मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। अगस्त 1964 में लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवा में देश के 100 से अधिक मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विभिन्न मुस्लिम फिरकों और संगठनों से संबंधित प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए। इनमें अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, बोहरा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी, इमारत-ए-शरिया, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तामीर-ए-मिल्लत, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता दारुल उलूम नदवा के तत्कालीन प्रमुख मौलाना अबुल हसन नदवी ने की थी।

बताया जाता है कि इस संगठन को बनाया जाना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस हाईकमान का मत था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन बनाना कांग्रेस के हितों के विपरीत है। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान के दबाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद महमूद और कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने इस संगठन से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस समर्थक मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने भी इस नए संगठन से अलग होने की घोषणा कर डाली। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के नेताओं ने अबुल हसन नदवी से अनुरोध किया कि वे इस संगठन की अध्यक्षता को स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके अनुरोध पर जमीयत उलेमा के एक पुराने नेता मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी को मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इस संगठन के राजनीति में भाग लेने के प्रश्न पर इसके घटकों में गंभीर मतभेद थे। इसके बाद इससे जुड़े एक घटक के नेता डॉ. अब्दुल जलील फरीदी ने 2 जून 1967 को मुस्लिम मजलिस नामक एक नए राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने यह प्रयास किया कि विभिन्न मुस्लिम संगठन

लोकसभा के लिए संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन इस पर सहमति न बनने के कारण यह प्रयास विफल हो गया। 1978 में दिल्ली में मुशावरत का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मुसलमानों की समस्याओं जैसे आरएसएस के बढ़ते हुए प्रभाव, सांप्रदायिक दंगों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप आदि मुद्दों पर विचार किया गया। इससे पहले आपातकाल लागू होते ही मुशावरत के महामंत्री युसूफ सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अंबाला जेल भेज दिया गया। जेल में ही उनका निधन हो गया। 1979 में मौलाना अहमद अली कासमी को मुशावरत का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। इसी दौरान मुफ्ती अतीकुर रहमान का 1982 में निधन हो गया। मुशावरत के काम-काज को चलाने के लिए दो उपाध्यक्ष शेख जुल्फिकार उल्लाह और सैयद शहाबुद्दीन बनाए गए। मुशावरत ने जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना अबुल लाईस इस्लाही से अनुरोध किया कि वे मुशावरत के अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए।

1983 में असम के नेल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में थीं। इसका मुशावरत ने विरोध किया। इसी दौरान सैयद शहाबुद्दीन मुशावरत के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अक्टूबर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके बाबरी मस्जिद और उससे संबंधित कब्रिस्तान की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। मुशावरत ने इसका भी कड़ा विरोध किया। 1992 में मुशावरत में शामिल कुछ लोगों ने एक समानांतर संगठन मिल्ली काउंसिल बना डाला। इससे मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत को भारी धक्का लगा। फरवरी 1993 में यह फैसला किया गया कि मुशावरत का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। मुशावरत के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन ने इस संगठन के संस्थापक मौलाना अबुल हसन नदवी को 1995 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुशावरत नाम का संगठन खत्म हो चुका है। अब जो संगठन चलाया जा रहा है वह अवैध है और उसका संचालन जुल्फिकार उल्लाह, मौलाना अहमद अली कासमी और मोहम्मद काजमी द्वारा किया जा रहा है। शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसे नाजायज तरीके से मुशावरत पर खर्च किया जा रहा है। 1995 में एक दूसरे पर फंड में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगाए गए।

18 नवंबर 1995 को मुशावरत की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुशावरत के 68 सदस्यों में से 47 ने भाग लिया। इस बैठक में मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी को मुशावरत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि जमात-ए-इस्लामी के शफी मूनिस महामंत्री बनाए गए। मौलाना जुनैद अहमद बनारसी को कोषाध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी को सचिव बनाया गया। इसके बाद मुशावरत दो समानांतर संगठनों में विभाजित हो गया। एक संगठन के अध्यक्ष मौलाना सलीम कासमी और दूसरे संगठन के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन बन गए। जून 2000 में सैयद शहाबुद्दीन ने मुशावरत का अध्यक्ष होने का दावा किया,

लेकिन कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि यह चुनाव गलत ढंग से हुआ है और सैयद शहाबुद्दीन जोड़ तोड़ करके अध्यक्ष बने हैं। 2013 में दोनों गुटों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और सैयद शहाबुद्दीन ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि भविष्य में मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान होंगे। जबकि मौलाना सलीम कासमी को सर्वोच्च मार्गदर्शन परिषद का अध्यक्ष घोषित किया गया।

धर्मांतरण अभियान पर उच्च न्यायालय चिंतित

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मांतरण के लिए किसी भी तरह का अभियान चलाना गैर-कानूनी है। इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि अगर देश में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी। उन्होंने यह टिप्पणी हमीरपुर के एक मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसके साथ ही उन्होंने इस याचिका को खारिज भी कर दिया।

अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और आर्थिक रूप से गरीब लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई बनाया जा रहा है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय का कहना है कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाएं संविधान की धारा 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। संविधान की यह धारा किसी व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी तो देती है, लेकिन किसी को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं देती। उच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण की घटनाओं को फौरन रोका जाए।

गौरतलब है कि रामकली प्रजापति नामक एक महिला ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका भाई मानसिक रूप से विकलांग है और आरोपी कैलाश इलाज कराने का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। कैलाश ने पीड़ित के परिवारजनों को यह आश्वासन दिलाया था कि इलाज कराने के बाद वह उसके भाई को वापस भेज देगा। बाद में जब उसका भाई वापस आया तो पता चला कि वह ईसाई बन चुका है। इसके बाद उसका भाई अपने गांव वालों को ईसाई बनाने के लिए दिल्ली ले गया। इसके बदले में कैलाश ने उसे कुछ धनराशि भी दी थी। अदालत ने कहा कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाना गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। वह गांव के सभी लोगों

को ईसाई बना चुका है। वकीलों द्वारा बहस के बाद अदालत ने कहा कि संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को चुनने की अनुमति देता है, लेकिन प्रलोभन देकर किसी का धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता। यह गैरकानूनी है।

मुस्लिम पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने की अनुमति

रोजनामा सहारा (18 जुलाई) के अनुसार पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय में कहा गया है कि मुस्लिम पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रख सकते हैं। अदालत ने तर्क दिया है कि भारत बहुधर्मी और विभिन्न रीति-रिवाजों वाला देश है। इस्लाम में मुसलमानों को दाढ़ी रखने का निर्देश है, इसलिए सरकारी ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने के कारण किसी भी मुस्लिम कर्मचारी को सजा नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के एक पुलिस अधिकारी जी. अब्दुल खादर इब्राहिम को ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने के कारण दो वर्ष तक वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया गया था। इस सरकारी फैसले के खिलाफ इस पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस विभाग में अनुशासन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी मुस्लिम कर्मचारी को दाढ़ी रखने पर सजा दी जाए। मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने से मना नहीं किया जा सकता। दाढ़ी रखना उनका धार्मिक अधिकार है और पैगंबर मोहम्मद के निर्देश पर वे जीवनभर दाढ़ी रखते हैं। अदालत ने यह फैसला 5 जुलाई को सुनाया था, लेकिन इसकी घोषणा 15 जुलाई को की गई है।

याचिकाकर्ता खादर इब्राहिम के वकील ने मद्रास के पुलिस गजट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार मुस्लिम पुलिस अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति है। उनके इस तर्क को अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि 2018 में खादर इब्राहिम ने 31 दिनों की छुट्टी ली थी। फिर पैर में इंफेक्शन होने के कारण उसने अपनी छुट्टी में बढ़ोतरी करने का आवेदन दिया था। सहायक पुलिस आयुक्त ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और यह दावा किया कि मद्रास पुलिस गजट के अनुसार खादर इब्राहिम ड्यूटी पर दाढ़ी नहीं रख सकता। 2021 में मद्रास के पुलिस उपायुक्त ने तीन वर्ष के लिए उसके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में घटाकर दो वर्ष कर दिया गया था। इस फैसले को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला प्रशंसनीय है। उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि की है, क्योंकि इस्लाम में दाढ़ी रखना अनिवार्य है। इस पुलिसकर्मी को जो सजा दी गई थी वह गलत थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संकुचित दृष्टिकोण वाले अधिकारी किसी न किसी बहाने मुस्लिम कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। अदालत का यह निर्णय उनके मुंह पर करारा तमाचा है।

विश्व

पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ पर प्रतिबंध का फैसला

सहाफत (16 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। राष्ट्रीय हित को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार के पास इस पार्टी के खिलाफ जो सामग्री मौजूद थी उसे पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लिप्त होता है और देश में अशांति फैलाने की योजना बनाता है तो पाकिस्तान की फेडरल सरकार उस दल पर प्रतिबंध लगा सकती है।

सूचना मंत्री ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम सूरी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने का फैसला किया है और उनके पासपोर्ट व पहचान पत्र जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली से सरकार के इस फैसले की पुष्टि कराई जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय को भी इस संदर्भ में सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई की तत्कालीन सरकार ने नेशनल असेंबली में उसके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को नजरअंदाज करते हुए असंवैधानिक तरीके से विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं को भंग कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखना है तो हमें ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, जो पाकिस्तान में अशांति फैलाकर देश की स्थिरता को खतरे में डालना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान की सरकार ने अफगानिस्तान से तालिबानी आतंकवादियों को लाकर पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया था और इमरान खान के इशारे पर सेना मुख्यालय व कोर कमांडर हाउस पर हमला

जा सकता। पीटीआई एक राजनीतिक दल है और वह महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का हकदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला संविधान की भावना के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि कुछ उम्मीदवारों ने अदालत में यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे कि वे पीटीआई से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें इस पार्टी का उम्मीदवार करार दिया जाए। वे जिन पार्टियों के टिकट पर जीते थे उन्हें छोड़कर वे पीटीआई में शामिल हो गए थे। यह जनता की इच्छाओं के विपरीत था।

किया गया था। तरार ने कहा कि हमें कमजोर समझा गया। इस्लामी मंच और मजहब को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब फिलिस्तीन पर हमले हो रहे थे तो इमरान खान की पार्टी के नेता इजरायली व्यापारियों के साथ पार्टियां कर रहे थे।

सहाफत (13 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आरक्षित सीटों के मामले में पेशावर उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पीटीआई इन आरक्षित सीटों की हकदार है। गौरतलब है कि 14 मार्च को पेशावर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आरक्षित सीटों की हकदार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में 13 मई को चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को भी अवैध घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि चुनाव चिन्ह से वंचित रखकर किसी भी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोका

हमारा समाज (14 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब भी उन्हें सदन में 209 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दायर किया था, लेकिन अदालत ने फैसला पीटीआई के पक्ष में दे दिया। उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।

तासीर (15 जुलाई) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुंह की खाने के बाद अब मौजूदा सरकार ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए इमरान खान की पार्टी को अवैध घोषित करने का फैसला किया है।

दागिस्तान में बुर्का पर प्रतिबंध

सहाफत (4 जुलाई) के अनुसार रूस के मुस्लिम बहुल प्रांत दागिस्तान में महिलाओं के बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि रूस सरकार ने यह यह प्रतिबंध पिछले महीने इस्लामी आतंकवादियों द्वारा यहूदी और ईसाई उपासना स्थलों पर हमलों के बाद लगाया है। सरकारी न्यूज एजेंसी 'तास' ने इन हमलों में 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की

थी। ये हमले मुस्लिम बहुल क्षेत्र उत्तरी काकेशस में हुए थे। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान और जॉर्जिया के नजदीक स्थित है। संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार दागिस्तान की उलेमा संगठन ने एक बयान में कहा है कि रूस के धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्रालय की अपील पर महिलाओं के बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संगठन ने यह भी कहा है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जिन आतंकवादियों ने दागिस्तान के गिरजाघरों और यहूदी उपासना स्थलों पर हमले किए थे उन्होंने नकाब और बुर्के पहन रखे थे।

इस हमले की जिम्मेवारी इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। इस अतिवादी इस्लामी संगठन के मध्य एशियाई चैप्टर ने यह दावा किया था कि रूस में इस्लाम को खत्म करने और मुसलमानों के उत्पीड़न का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, इसलिए हमारे आतंकवादियों ने इस्लाम विरोधी गतिविधियों के लिए रूस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। इस आतंकी संगठन ने यह भी दावा किया है कि 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उसके ही आतंकवादियों ने हमला किया था और लगभग 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस आतंकी संगठन ने यह भी घोषणा की है कि रूस में मुसलमानों के उत्पीड़न के अभियान को देखते हुए प्रतिरोध का यह सिलसिला जारी रखा जाएगा।

गौरतलब है कि 1917 में हुई रूसी क्रांति से पहले इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में महिलाएं आम तौर पर बुर्का और नकाब पहना करती थीं, लेकिन जब रूसी क्रांति के बाद इस क्षेत्र को सोवियत संघ में शामिल किया गया तो रूसी सरकार ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लाम फिर से उभरा और महिलाओं ने मौलानाओं और मुफ्तियों के निर्देश पर फिर से बुर्का और नकाब पहनने शुरू कर दिए।

अखबार-ए-मशरिक (6 जुलाई) ने कहा है कि अब इस्लामी देशों ने भी उदारवादी और सेक्युलर बनने के जुनून में इस्लामी शरिया के अनुसार जीवन गुजारने के तरीकों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने ताजिकिस्तान ने हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाने के कानून को मंजूरी दी थी और अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। समाचारपत्र ने लिखा है कि ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक मुस्लिम बहुल देश है, जिसमें 98 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। इस देश की सीमाएं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हैं। पहले यह देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इस देश के राष्ट्रपति इमोमली रहमान ने इस्लाम के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। वे मुस्लिम जनसंख्या को इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने 2015 में कट्टर इस्लामी संगठन इस्लामिक रिवाइवल पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान (आईआरपीटी) को आतंकवादी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले देश के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कट्टरपंथी विरोधी पुलिस

का गठन करके शरिया के अनुसार जीवन गुजारने वालों के लिए जीना दूभर कर दिया गया था। ताजिकिस्तान में पुरुषों के दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिलाओं के इस्लामी लिबास पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। समाचारपत्र ने ताजिकिस्तान सरकार की इस्लाम विरोधी इन नीतियों की निंदा की है।

अफगानिस्तान में बैंकों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर विचार

सहाफत (3 जुलाई) के अनुसार दोहा में आयोजित सम्मेलन में रूस ने यह संकेत दिया है कि वह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर, तालिबान ने यह दावा किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मांग को देखते हुए अफगानिस्तान में वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की समस्या पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटा लिया जाएगा।

एतेमाद (6 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सैकड़ों महिलाओं को बिना कोई मुकदमा चलाए गैरकानूनी तौर पर जेलों में बंद कर दिया गया है। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और उन्हें जबरन निकाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकारी दबाव के कारण हाल ही में कम-से-कम तीन महिलाओं ने आत्महत्या की है। तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारने और संगसार (पत्थर मार-मार कर मार डालना) करने की सजाएं भी दी जा रही हैं। यह मानवाधिकारों का खुला हनन है।

सहाफत (16 जुलाई) के अनुसार तालिबान के खिलाफ अपने अधिकारों के युद्ध को लड़ने के लिए अफगान महिलाएं मैदान में कूद पड़ी हैं। यह विरोध प्रदर्शन एक महिला संगठन पर्पल सैटरडे मूवमेंट की ओर से किया जा रहा है। इस संगठन की नेता मरियम मारूफ अरविन हैं। इस संगठन की महिलाएं तालिबान के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रही हैं और वे अब सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करने लगी हैं। तालिबान सरकार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर रही है। मरियम का दावा है कि विश्व अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के हनन पर मूकदर्शक बना हुआ है और अभी तक अफगान महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए कोई ठोस कदम

नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दोहा में अफगानिस्तान के मामलों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था उसमें भी अफगानिस्तान में महिलाओं के उत्पीड़न पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

पाकिस्तान की बन्नू छावनी पर आतंकी हमला

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (19 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक विरोध पत्र भेजा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि हाल ही में पाकिस्तान की बन्नू छावनी पर हुए आतंकी हमले में आठ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यह हमला अफगानिस्तान स्थित हाफिज गुल बहादुर गुट ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ मिलकर करवाया था। पाकिस्तान सरकार ने इस संबंध में इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान दूतावास के उपप्रमुख को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में तलब करके एक विरोध पत्र सौंपा है। इसमें 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर हुए आतंकी हमले की ओर अफगान सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इस विरोध पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादियों के अड्डों से पाकिस्तान में निरंतर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अनेक बार अफगानिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है, लेकिन अभी तक उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

गौरतलब है कि इस हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 10 सशस्त्र हमलावरों को गोली से उड़ा दिया था। पीटीआई के नेता असद कैसर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार बन्नू छावनी पर हुए आतंकी हमले की आड़ लेकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर से पीटीआई के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस ने आधी रात को छापा मारकर पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष गौहर अली खान और कार्य समिति के सदस्य सदस्य रऊफ हुसैन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पाकिस्तानी जनता को यह सूचना देनी चाहिए कि अब तक विपक्ष के कितने कार्यकर्ताओं और नेताओं को शहबाज शरीफ की सरकार और सेना गिरफ्तार कर चुकी है।

पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया है कि कुछ लोग विदेशी इशारे पर पाकिस्तान में अशांति फैला रहे हैं। हम आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिदिन चार से पांच ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बन्नू में हुए आतंकी हमले के बाद विपक्षी दलों ने एक शांति मार्च निकाला था, जिसमें शामिल लोगों ने सैन्य चौकियों पर गोलियां चलाई। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे एक पड़ोसी दुश्मन

देश के इशारे पर अफगानिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हिंदुस्तान (10 जुलाई) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के जिला लक्की मरवत में कुर्रम टोल प्लाजा के नजदीक कुछ अज्ञात नकाबपोश आतंकवादियों ने पुलिस के एक वाहन पर हमला किया। इस हमले में कम-से-कम चार पुलिसकर्मी मारे गए। हमले के बाद आतंकवादी मौके से फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने संवाददताओं को बताया कि हमलावरों का पता लगाने के लिए पूरे क्षेत्र में खोजी अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला एक पड़ोसी देश के इशारे पर अफगानिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों ने किया है।

हिंदुस्तान (11 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अफगान सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। अगर पाकिस्तान सरकार के पास आतंकवाद से संबंधित कोई ठोस सबूत है तो वह हमें उपलब्ध कराए। हम खुद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सेना ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया या हमारे इलाके पर हमले किए तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शांति रहे, लेकिन अगर वहां पर अंदरूनी विवाद के कारण कोई समस्या पैदा होती है तो उसे वहां की सरकार और जनता को ही सुलझाना चाहिए। उसे अफगानिस्तान के सिर पर थोप देना सरासर गलत है। हम अपने देश की सीमाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश

रोजनामा सहारा (12 जुलाई) के अनुसार न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने नई मुख्य न्यायाधीश को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थीं। आलिया नीलम को 2013 में लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में मनोनीत किया गया था।

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के नेतृत्व में गठित पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने आलिया नीलम को लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में मान्यता दी है। अब तक पांच महिलाएं लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी हैं, लेकिन आलिया नीलम मुख्य न्यायाधीश बनने वाली एक मात्र महिला हैं। उनका जन्म 1966 में लाहौर में हुआ था। 1995 में वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। अगर वह पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं बनीं तो वह 11 नवंबर 2028 को लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होंगी।

उदारवादी मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित

एतेमाद (7 जुलाई) के अनुसार उदारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेश्कियान ने ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में कट्टरपंथी सईद जलीली को पराजित करके जीत दर्ज की है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि हिजाब से संबंधित कानून को नरम किया जाएगा। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की शिया धार्मिक व्यवस्था में वे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सभी मामलों में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई का वर्चस्व बरकरार रहेगा। ईरान के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पेजेश्कियान को एक करोड़ 63 लाख मत प्राप्त हुए। जबकि उनके विरोधी सईद जलीली को एक करोड़ 35 लाख मत प्राप्त हुए। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में तीन करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया था।

ईरान के नए राष्ट्रपति पेशे से हार्ट सर्जन हैं। उनके समर्थकों ने तेहरान सहित अनेक नगरों में जश्न मनाए। इससे पहले 28 जून को हुए मतदान में क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को कुल मतों का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर दोबारा मतदान करवाना पड़ा। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता सैयद अली खामेनेई ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पेजेश्कियान को बधाई दी है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वे मृतक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के रास्ते पर ही चलेंगे। पेजेश्कियान ईरान के नौवें राष्ट्रपति होंगे। 69 वर्षीय पेजेश्कियान चार बार संसद के सदस्य रह चुके हैं। वे ईरानी संसद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के मंत्रिमंडल में चार सालों तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। बताया जाता है कि पेजेश्कियान को इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी का भी समर्थन प्राप्त था।

तासीर (14 जुलाई) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने चुनावी अभियान के प्रमुख और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को मार्गदर्शक परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है।

अवधनामा (8 जुलाई) के अनुसार ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हालांकि उनका सफर बहुत कठिन है,

लेकिन वे जनता के सहयोग से इस सफर को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सभी ईरानियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कठिनाईयों में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप भी मेरा साथ दें। गौरतलब है कि इससे पहले 2021 में सैयद इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इस साल उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियन सहित छह अन्य उच्चाधिकारी भी मारे गए थे। इसके बाद ईरानी संविधान के अनुसार ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था।

सियासत (7 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हालांकि नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद को उदारवादी करार देते हैं, लेकिन उनके लिए ईरान की नीति में किसी भी तरह का परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मर्जी के बिना ईरानी नीति में किसी भी तरह का संशोधन करना संभव नहीं है। कहा जाता है कि हिजाब के मामले में उनकी उदार नीति है और उन्होंने हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। इसके बावजूद उनके लिए हिजाब पर कोई नीति अपनाना कठिन होगा।

अवधनामा (9 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शुरू से ही पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर देते रहे हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि ईरान इन दिनों जटिल समस्याओं से घिरा हुआ है। इजरायल उसके खिलाफ निरंतर साजिशें करके उसका वजूद मिटाने में लगा हुआ है। जबकि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने विदेश नीति में भारी परिवर्तन करने का संकेत दिया था। उन्होंने उन देशों के साथ भी ईरान के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था, जिनसे ईरान के संबंध पहले से तनावपूर्ण चले आ रहे थे। समाचारपत्र ने कहा है कि दुनियाभर के मुसलमान ईरान के नए राष्ट्रपति की ओर आशापूर्ण नजरों से देख रहे हैं ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रख सके और उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान इस्लामी दुनिया की नजर में खरे उतरेंगे ऐसी हमें पूरी आशा है।

एतेमाद (9 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पेजेश्कियान की जीत ईरान की सुधारवादी जनता की जीत है, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण पेजेश्कियान के लिए ईरान की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि नए राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों की शत्रुता को कम करने का प्रयास करेंगे। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान की जीत भारत के लिए शुभ संकेत है। ईरान भारत को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है और भारत को सस्ता तेल प्राप्त करने के लिए ईरान पर निर्भर रहना होगा। इसके अतिरिक्त इस बात की भी आशा है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना को पूरा करने में नए राष्ट्रपति भारत को सहयोग देंगे।

तुर्किये द्वारा अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता रद्द

हमारा समाज (14 जुलाई) के अनुसार तुर्किये ने अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमान खरीदने के संबंध में जो समझौता किया था उसे रद्द करने हेतु तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तुर्किये अब लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किसी अन्य देश की तलाश कर रहा है। गौरतलब है कि तुर्किये 2021 से यह प्रयास कर रहा था कि वह लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बनाए हुए एफ-16 विमानों का आधुनिकतम संस्करण प्राप्त करे ताकि वह अपनी वायुसेना को आधुनिक बना सके और उसकी प्रहार की शक्ति में वृद्धि हो सके, लेकिन अमेरिका इस मामले को निरंतर टाल रहा था। उसने इस समझौते की मंजूरी तभी दी थी जब तुर्किये ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। अब तुर्किये का यह प्रयास है कि इस समझौते को रद्द करके किसी अन्य देश से लड़ाकू विमान खरीदा जाए, क्योंकि अमेरिका उसे काफी महंगे दाम पर एफ-16 लड़ाकू विमान सप्लाई कर रहा था। तुर्किये का यह प्रयास है कि वह कोई ऐसा देश तलाश करे जिसके सहयोग से तुर्किये में ही अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जा सके।

हाल ही में नाटो के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन वाशिंगटन गए थे। वहां पर संवाददाताओं ने जब उनसे इस समझौते के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय इस सवाल को ही टाल दिया था। एफ-16 विमान निर्माता कंपनी द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि तुर्किये इस समझौते को रद्द न करे। बताया जाता है कि उसने तुर्किये को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका रडार सिस्टम वर्तमान विमानों से बहुत बेहतर होगा और उसकी संचार व्यवस्था भी अत्याधुनिक होगी। हालांकि, अभी तक तुर्किये ने इस कंपनी के प्रयासों का कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। इससे अमेरिका में चिंता प्रकट की जा रही है। ■

ओमान की मस्जिद में आतंकी हमला

उर्दू टाइम्स (17 जुलाई) के अनुसार ओमान की राजधानी मस्कट में कुछ आतंकवादियों ने एक मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम-से-कम छह लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। अरब मीडिया के अनुसार फायरिंग की यह घटना मस्कट के पूर्व में स्थित वादी कबीर जिले के इमाम अली मस्जिद में हुई। यह शिया संप्रदाय की मस्जिद है। हमले के समय इस मस्जिद में 70 से अधिक लोग मौजूद थे और वहां पर मोहर्रम के सिलसिले में सभा हो रही थी। ओमान की रक्षा मंत्रालय के अनुसार मस्जिद पर हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों को मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि एक सैनिक भी इस हमले में मारा गया।

अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। ओमान में पाकिस्तानी राजदूत इमरान अली के अनुसार मरने वालों में दो पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बता दें कि ओमान में इससे पहले कोई आतंकी घटना नहीं हुई थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 जुलाई) के अनुसार ईरान ने ओमान की मस्जिद में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर शियाओं को हिंसा का निशाना बना रहे हैं। समाचारपत्र के अनुसार इस हमले की जिम्मेवारी सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है।

सऊदी अरब द्वारा विदेशी विशेषज्ञों को नागरिकता प्रदान करने की घोषणा

उर्दू टाइम्स (6 जुलाई) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि मजहब, चिकित्सा, विज्ञान, संस्कृति और खेल आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की जाएगी। शाही फरमान के अनुसार यह कदम सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाया गया है ताकि दुनियाभर के बड़े बुद्धिजीवियों को सऊदी अरब का नागरिक बनाया जाए। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में सऊदी गृह मंत्रालय द्वारा विश्व के सर्वोच्च बुद्धिजीवियों को सऊदी अरब की नागरिकता देने का फैसला किया गया था। जबकि 2023 में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार गृह मंत्रालय से लेकर युवराज मोहम्मद बिन सलमान को दे दिया गया।

हिंदुस्तान (8 जुलाई) के अनुसार हाल ही में जिन विशिष्ट बुद्धिजीवियों को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है उनमें एक पाकिस्तानी और एक भारतीय भी शामिल है। न्यूज पोर्टल 'अरगाम' के अनुसार ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय से मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर डॉ. महमूद खान को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। डॉ. महमूद खान ने कहा है कि वे पाकिस्तानी मूल के हैं। हालांकि, उनकी शिक्षा-दीक्षा ब्रिटेन में हुई है, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी होने पर गर्व है। डॉ. महमूद खान इन दिनों रियाद के हेवोल्यूशन फाउंडेशन के सीईओ हैं, जो वैश्विक वैज्ञानिक खोज में पूंजी निवेश करता है। इसके अतिरिक्त एक भारतीय फराज खालिद को भी सऊदी अरब

की नागरिकता प्रदान की गई है। फराज खालिद ने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। इन दिनों वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण, लॉन्च और विस्तार से संबंधित एक प्रोजेक्ट के सीईओ हैं।

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार अब तक सऊदी सरकार विशिष्ट श्रेणी के 50 विदेशी बुद्धिजीवियों को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर चुकी है। अब 14 अन्य लोगों को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान करने का फैसला किया गया है। इनका संबंध सऊदी अरब के अस्पतालों में डॉक्टर और विशेषज्ञ वर्ग से है। इनमें सीरिया के तीन डॉक्टर भी शामिल हैं, जो बच्चों के ट्यूमर और न्यूरोसर्जिकल मामले के विशेषज्ञ हैं। अमेरिका के तीन नागरिकों को भी सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य भारतीय डॉक्टर डॉ. शमीम अहमद बट को भी सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। शमीम अहमद किंग सऊद मेडिकल सिटी के प्रमुख हैं।

हिजाब पहनने से इंकार करने पर टर्किश एयरलाइंस का कार्यालय बंद

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी पुलिस ने टर्किश एयरलाइंस के कर्मचारियों को हिजाब पहनने का निर्देश दिया था। एयरलाइंस की महिला कर्मचारियों ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया था, इसलिए पुलिस ने टर्किश एयरलाइंस का कार्यालय बंद करवा दिया है। ईरानी सूत्रों के अनुसार ईरान सरकार ने यह कदम टर्किश एयरलाइंस के कर्मचारियों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण उठाया है। गौरतलब है कि कानून के अनुसार ईरानी पुलिस हिजाब न पहनने पर पहले चेतावनी देती है और जब संबंधित व्यक्ति उसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस घटना पर टर्किश एयरलाइंस ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।

बता दें कि सितंबर 2022 में हिजाब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद देशभर में हिजाब कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे। हाल ही में जब कुछ ईरानी महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर दिखाई दी थीं तो ईरानी पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी और उन्हें हिरासत में ले लिया था।

यूएई में इख्वानुल मुस्लिमीन से जुड़े 43 लोगों को उम्रकैद की सजा

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने देश में अशांति फैलाने की नीयत से स्थानीय तौर पर स्थापित संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) से जुड़े 43 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार इख्वानुल मुस्लिमीन गुट का गठन देश में विभिन्न स्थानों पर हमले करके खून की नदियां बहाने के लिए किया गया था। इस संगठन से संबंधित 11 अन्य लोगों को भी विभिन्न अवधि की सजा दी गई है। जबकि छह कंपनियों को इस संगठन को आर्थिक सहायता देने के आरोप में प्रतिबंधित किया गया है और उनके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इख्वानुल मुस्लिमीन अरब जगत का सबसे ताकतवर अतिवादी संगठन है, जिसे 2014 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अवैध घोषित किया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार इराक की एक अदालत ने इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के पूर्व प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी की पत्नी अस्मा मोहम्मद को आतंकी संगठन में काम करने के कारण मौत की सजा दी है। इराक की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के अनुसार इस महिला ने कुछ अन्य सहयोगियों की मदद से कई यजीदी महिलाओं का अपहरण किया था। बाद में इस महिला को इराक की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था। एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस आतंकवादी महिला को मौत की सजा दी गई है। बता दें कि अबू बकर अल-बगदादी ने 2014 में आईएसआईएस नामक एक इस्लामी जिहादी संगठन की स्थापना की थी और उसने अपने आप को दुनियाभर के मुसलमानों का खलीफा घोषित किया था, लेकिन 2019 में अमेरिकी सेना ने उसे मौत के घाट उतार दिया था।

RNI No. DELHIN/2017/72722

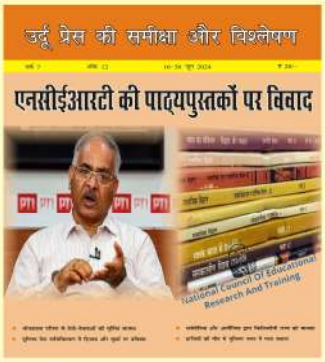

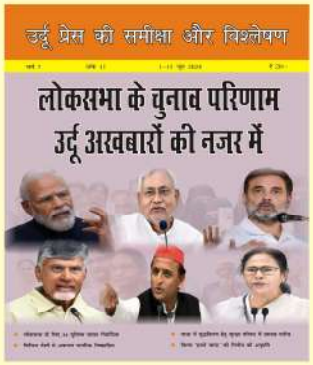

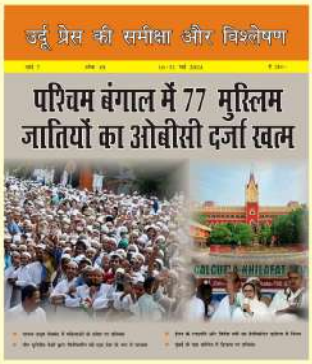

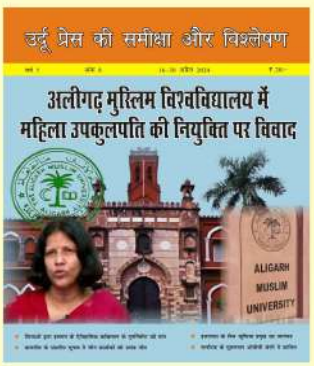

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in